अनुदान संख्या 8 - नागर विमानन मंत्रालय
GRANT No. 8 - MINISTRY OF CIVIL AVIATION

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	10590,54,00	10590,57,00	9235,09,26	-1355,47,74
पूरक	Supplementary	3,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1352,34,50
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	76,46,00	86,46,00	86,44,00	-2,00
पूरक	Supplementary	10,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ :–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3053"	Major Head "3053"				
नागर विमानन	Civil Aviation				
मू.	O.	1040721.00	918654.50	918385.80	-268.70
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	-122068.50			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	12877.00			
पू.	S.	1.00	1.00	..	-1.00
पु.	R.	-12877.00			

(I) आठ शीर्षों के अंतर्गत ₹13003.00 लाख का प्रावधान (मार्च, 2023 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से अकेले ₹12878.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में हवाई संपर्क और विमानन अवसंरचना प्रदान करना– क्षेत्रीय संपर्क योजना" के अंतर्गत लेखाबद्ध है, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोजन कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि को अभ्यर्पित किए जाने के कारण हुआ।

(I) Provision of ₹13003.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2023) remained wholly unutilized under eight heads; of these ₹12878.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2552" - "Providing Air Connectivity and Aviation Infrastructure in North Eastern Region (NER) - Regional Connectivity Scheme" - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "3053" – "सामान्य" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचत हुई :–

(II) Under Major Head "3053" - "General" - savings occurred under the following heads:-

(का) "निदेशन और प्रशासन – विनिवेश के बाद एयर इंडिया" – ₹4000.00 लाख की बचत (₹16500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एयर इंडिया के सेवानिवृत्त कर्मचारियों से चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कम संख्या में दावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(A) "Direction and Administration - Air India after Disinvestment" - saving of ₹4000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16500.00 lakhs) was due to receipt of less medical reimbursement claims from the retired employees of Air India.

(खा) "नागर विमानन सुरक्षा – नागर विमानान सुरक्षा ब्यूरो" – ₹795.53 लाख की बचत (₹6730.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने और बी सी ए एस के क्षेत्रीय कार्यालयों के किराये के परिसर के लिए कम संख्या में उपयोग बिलों की प्राप्ति के कारण हुई।

(B) "Civil Aviation Security - Bureau of Civil Aviation Security" - saving of ₹795.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6730.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less utility bills for rental premises of BCAS's regional offices.

(गा) "सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता– एयर इंडिया एसेट होल्डिंग (एस पी वी)" – ₹205991.00 लाख की बचत (₹925991.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुद्रीकरण/किराया आय और एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड द्वारा रखी गई सावधि जमा से ब्याज प्राप्त आय के कारण हुई।

(C) "Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Air India Asset Holding (SPV)" - saving of ₹205991.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹925991.00 lakhs) was due to receipt from monetization/rental proceeds and interest income from fixed deposit placed by Air India Assets Holding Limited.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹881 86.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि मुख्य शीर्ष "3053" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत दिसंबर, 2022 और मार्च, 2023 में ₹3.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित किया गया था।

2.(I) The above savings were partly (₹88186.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹3.00 lakhs in December, 2022 and March, 2023 under Major Head "3053" - under the following heads: -

(का) "हवाई सेवा – उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए योजनाएं – क्षेत्रीय संपर्क योजना" – ₹16377.00 लाख।

(A) "Air Services - Schemes for NE Region - Regional Connectivity Scheme" - ₹16377.00 lakhs.

(खा) "सामान्य" –

(B) "General" -

(क) "उद्योगों/कंपनियों को सहायता – भारत में ड्रोन और ड्रोन घटक उद्योग/कंपनी के लिए पीएलआई योजना को सहायता" – ₹3000.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2999.00 लाख हुआ।

(a) "Assistance to Industries/Companies - Assistance to PLI Scheme for Drone and Drone Component Industry/Company in India" - ₹3000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2999.00 lakhs.

(ख) "सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता– उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए ए ए आई को सहायता अनुदान" – ₹25999.00 लाख।

(b) "Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Grants-in-aid to AAI for NE Region" - ₹25999.00 lakhs.

(ग) "अन्य व्यय – क्षेत्रीय संपर्क योजना" – ₹42810.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹42809.00 लाख हुआ।

(c) "Other Expenditure - Regional Connectivity Scheme" - ₹42810.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹42809.00 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3053" – "सामान्य – निदेशन और प्रशासन – महानिदेशक, नागर विमानन" के अंतर्गत – वित्त मंत्रालय द्वारा डी जी सी ए (मुख्यालय) और क्षेत्रीय कार्यालयों नए पदों के सृजन के कारण नए अधिकारियों/स्टाफ के पदभार ग्रहण करने के कारण हुए ₹658.39 लाख के अधिक व्यय (₹13405.60 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) द्वारा प्रतिसंतुलित हो गयी।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3053" - "General - Direction and Administration - Director General Civil Aviation" - excess of ₹658.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13405.60 lakhs) was due to joining of new officers/staff in DGCA (Hq.) and Regional Offices owing to creation of additional posts by the Ministry of Finance.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, एक शीर्ष के अंतर्गत ₹1.00 लाख का प्रावधान पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और अंततः अभ्यर्पित कर दिया गया।

3. In the capital section of the grant, provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilized under one head and was eventually surrendered.